



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून – 248001


दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : 3769/उ0आ0वि0/भर्ती प्रक्रिया/2017-18

दिनांक : 07 मार्च, 2018

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा संचालित की जा रही चिकित्साधिकारियों, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार ही आरक्षण लागू होगा। उक्त आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन्होंने अपने आवेदन-पत्र भरते समय संबंधित श्रेणी में सही (✓) का निशान अंकित किया है। उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों पर आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी और ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का ही लाभ प्राप्त होगा।


(प्रो० अनूप कुमार गोकखड़)
कुलसचिव।